

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत:- उप खण्ड अधिकारी, करौली।

बइजलास :- राजेन्द्र कुमार गोयल, आर.ए.एस.

वाद संख्या- (140/89) (16/98) (240/01) 77/02

मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान अनाज मण्डी करौली जरिये प्रबंधकगण तेजनारायण अग्रवाल पुत्र श्री हजारीलाल एवं राधेश्याम पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल महाजन निवासी करौली तहसील करौली

---वादी

बनाम

- 01 श्यामबाबू दत्तक पुत्र श्री श्रीलाल
- 02 रामबाबू
- 03 देवीप्रसाद
पुत्रान श्री जवालीराम
जाति ब्राह्मण निवासी करौली तहसील करौली
- 04 भौरीबाई बेवा जवालीराम
- 05 राधावल्लभ
- 06 राधेश्याम
- 07 ओमप्रकाश
- 08 कैलाश चंद
पुत्रान श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी करौली तहसील करौली
- 09 चन्द्रशेखर पुत्र श्री रामचरण जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुरसिटी
- 10 तहसीलदार, लैण्डहोल्डर तहसील करौली

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा खातेदारी दखल व स्थाई निषेधाज्ञा दफा 88, 188, 183 आर.टी. एकट

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रुबरू...मुझ... व हाजिरी श्री श्याम प्रकाश गर्ग अधिवक्ता वादी की ओर से मिनजानिव मुद्दई रुबरू एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 की ओर से श्री श्याम सुंदर शर्मा अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दयलह पेश होकर हुकम किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी दखल व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश है कि मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 में आराजी खसरा नंबर 499 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का साबिक नंबर 443/2 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाकर दुरुस्ती की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज X मुबलिग X खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह X फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/05/2017 को जारी की गयी।

उप खण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	0	स्टाम्प अर्जी दावा/जबाव	2	0
स्टाम्प वकालत नामा	1	0	स्टाम्प अर्जी/वकालतनामा	1	0
स्टाम्प बजह सबूत	2	0	बजह सबूत स्टाम्प	8	0
महनताना वकील	-	-	महनताना वकील	-	-